2018/0016/ 2018/00161

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 22/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

श्री रामलाल पुत्र श्री बद्रीलाल जाति धाकड निवासी भोपालगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा (अप्रार्थी)

उपस्थित :– श्री सावन शर्मा (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 23.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम भोपालगज तहसील पीपल्दा के खसरा नम्बर 245 हाल खसरा नम्बर 382 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में खाता नम्बर 174 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भोपालगंज के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 174 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी को आवंटन अधिकारी द्वारा नियमानुसार भूमि का आवंटन किया गया है। वक्त आवंटन उक्त भूमि काबिल काश्त भूमि थी, कहीं कोई खल, खदृदर, तालाब आदि नहीं थी, और ना ही आज

उक्त खेत में या आस पास के खेतों में कहीं तालाब आदि है। इसके उपरान्त भी बिना पूर्ण मौका स्थिति तथा उसके सम्बन्ध में पूर्व का तथा वर्तमान रिकार्ड का अवलोकन किऐ बिना ही सरसरी तरीके से उक्त कार्यवाही माननीय न्यायालय में पेश की गई है। जो हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि का नियमानुसार बाद जांच पडताल के नीलामी द्वारा भूमि का आवंटन किया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की समस्त आवंटन राशि जमा करवा दी गई है तथा भूमि पर नियमानुसार कब्जा प्राप्त किया गया है। अप्रार्थी वक्त आवंटन से ही उक्त भूमि पर कब्जा है, तथा लगातार काश्त करता चला आ रहा है। नीलामी में खरीद शुदा भूमि पर रेफरेन्स की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अप्रार्थी एक गरीब काश्तकार है, और यदि उसकी भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया तो अप्रार्थी व उसके परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आ जावेगी। पूर्व में भी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा माननीय न्यायालय में रेफनेन्स किया था, जो रिमाण्ड किया गया था, आज तक उस सरिमाण्ड पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि नया रेफरेन्स बनाकर भेजा है, जो पूर्व न्याय के सिद्धान्त से भी बाधित होने के कारण निरस्तनीय है। अतः' अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे व आवंटन को बहाल रखे जाने के आदेश फरमावे।

4. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम भोपालगंज तहसील पीपल्दा के खसरा नम्बर 245 हाल खसरा नम्बर 382 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 तक में खाता नम्बर 174 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भोपालगंज के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2009–2028 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 174 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बावत तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा